

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

816

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ ३४५६

जयपुर, दिनांक :

1803

1/9/15

परिपत्र

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनिकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-३ उपखण्ड (i) के तहत जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F-2(26)DME/GenSec/PC-PNDT/2014 दिनांक 5.9.2014 के निरन्तर में छ: माह का प्रशिक्षण “The Fundamentals in Abdomino-Pelvic Ultrasonography : level one for MBBS doctors” प्राप्त करने के बाद योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग को independent examiner नियुक्त किया जाता है। independent examiner उक्त अधिनियम एवं गजट नोटिफिकेशन के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रशिक्षणार्थियों का Knowledge based एवं skill based एसेसमेन्ट कर योग्यता प्रमाणित करेंगे तत्पश्चात संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनिकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-३ उपखण्ड (i) के तहत उपलब्ध प्रावधानों की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे।

(सम्पत मल लोढ़ा)
उपशासन सचिव

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ ३४५६

जयपुर, दिनांक : २५/१०/२०१५

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, सरकार
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवायें, राज. जयपुर
04. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
05. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
06. राजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, (RUHS) जयपुर
07. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
08. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर/जयपुर/उदयपुर/रायगढ़/जोकानीर/कोटा
09. प्रभारी राज्य पी सी पी एन डी टी सैल, स्वा. एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर
10. श्री पी पी तिवारी, सहा.प्रो. वेबसाइट अपडेट हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

